

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कोलायत

क्रमांक 165

दि० 18/3/19

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू अ. नि. ...
 डिमाट्ट को रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत / नायब तहसीलदार की
 अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मोडिया
 कोलायत व जिला कोलायत की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
 जाते हैं :-

खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)																																								
1. मोडिया 113	<table border="1"> <tr> <th>ख.न.</th> <th>रकबा</th> <th>कित</th> <th>लगाव</th> </tr> <tr> <td>447</td> <td>19.5200</td> <td>खी3</td> <td>19.52</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>19.5200</td> <td>खी3</td> <td>19.52</td> </tr> </table>	ख.न.	रकबा	कित	लगाव	447	19.5200	खी3	19.52	26				01	19.5200	खी3	19.52	<table border="1"> <tr> <th>ख.न.</th> <th>रकबा</th> <th>कित</th> <th>लगाव</th> </tr> <tr> <td>498</td> <td>1.7200</td> <td>खी3</td> <td>1.72</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>499</td> <td>17.8000</td> <td>खी3</td> <td>17.80</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>19.5200</td> <td>खी3</td> <td>19.52</td> </tr> </table>	ख.न.	रकबा	कित	लगाव	498	1.7200	खी3	1.72	26				499	17.8000	खी3	17.80	26				02	19.5200	खी3	19.52
ख.न.	रकबा	कित	लगाव																																							
447	19.5200	खी3	19.52																																							
26																																										
01	19.5200	खी3	19.52																																							
ख.न.	रकबा	कित	लगाव																																							
498	1.7200	खी3	1.72																																							
26																																										
499	17.8000	खी3	17.80																																							
26																																										
02	19.5200	खी3	19.52																																							

(
 उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी
 कोलायत जिलाधिकारी
 लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :-

क्रमांक :-
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जायक वाला रिपोर्ट भिजवाये।
2. पटवारी श्री को सूचनार्थ।

(
 उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत